

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ ०१-२२/२०१३/२३
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक २०/०५/२०१५

आयुक्त सह संचालक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय:- प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति करने हेतु विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक ८२४/१४/आसासा/१-प्रशा(गोप), दिनांक १६.०३.२०१४

—००—

उपरोक्त विषयातंगत संदर्भित ज्ञाप के अनुक्रम में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति करने हेतु विभागीय परीक्षा का आयोजन किये जाने हेतु अनुमोदित पाठ्यक्रम की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया परीक्षा आयोजित करते हुए पदोन्नति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

(एस. एन. नामदेव) २०/५/१५-

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

४
२०६०/०८

अनुसूची— पांच
नियम 14,15 एवं अनुसूची—चार देखिए

उत्तीर्णगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित)

1. विभागीय परीक्षा साधारणतः माह— जून व दिसम्बर में प्रतिवर्ष दो बार आयोजित होगी।
2. पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा किन्तु जिस वर्ष पदोन्नति की जावेगी उस वर्ष को 01 जनवरी की रिति में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अधिकारी को विभागीय परीक्षा से छूट होगी।
3. नियमानुसार अज्ञा/अजा वर्ग वाले अन्यर्थी परीक्षा के अंकों में छूट दी जावेगी।
4. प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50% अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण माना जावेगा।
5. पाठ्यक्रम को विभाग की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

**सहायक सांख्यिकी अधि. (तृतीय श्रेणी) से सहायक संचालक—योजना / सांख्यिकी (द्वितीय श्रेणी) हेतु
विभागीय पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम**

प्रश्न पत्र —1
(लघु उत्तरीय)

(100 अंक)

1. विभागीय ज्ञान—
राज्यीय आय, राष्ट्रीय व्यादर्श सर्वेक्षण, जीवनांक, आई.आई.पी. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, W.P.I. CPI कृषि सांख्यिकी, भवन निर्माण सांख्यिकी, शिक्षा सांख्यिकी, स्वास्थ्य सांख्यिकी, खनिज सांख्यिकी, आर्थिक गणना की अवधारणाएँ, विभाग में प्रचलित नियम अधिनियम का ज्ञान, माध्य, मधियका, बहुलक, मानक विचलन, सामान्यण सह—संबंध।

प्रश्न पत्र — 2
(गणित एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक)

(100 अंक)

2. सामान्य गणित एवं कम्प्यूटर ज्ञान—
भाग — 1 (गणित) 25 अंक
प्रतिशत, औसत, अनुपात—समानुपात, साधारण व्याज, लाभ—हानि, संचयी वार्षिक विकास दर (CAGR), जी.पी.एफ व्याज गणना इत्यादि।

भाग — 2 (कम्प्यूटर प्रायोगिक) 75 अंक

- एम.एस.बड़े— सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एवं फार्मूला लिखना, वर्ड टेबल में योग करना, मेल मर्ज करना, पैराग्राफ में टैक्स्ट बाक्स में एलाइन करना इत्यादि।
- एम.एस.एक्सेस — deleting duplicates records, converting text to column, importing data from ascii format, exporting data to MS access & other database, use of filter, pivot table, converting krutidev font (numerical) to times new roman or other excel friendly fonts, unicode, use of proper graph, nestedif etc.
- निम्नलिखित एक्सेल कमांड का प्रयोग कम्प्यूटर पर — if, sumifs, countifs, vlookup, hlookup, match, concatenate, mid, len, proper, and, or, trim, left, right,
- RDBMS, normalization, select

8/1/201

145

विषय :- उत्तीर्णगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में उल्लेखित विभागीय पदोन्नति परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारण।

उपरोक्त विषयांतर्गत भर्ती नियम 2013 की अनुसूची 4 के स्तंभ क्रमांक 6 में उल्लेखित विभागीय पदोन्नति परीक्षा हेतु नियमानुसार पाठ्यक्रम है :-

अनुसूची— पांच
नियम 14.15 एवं अनुसूची-चार देखिए

उत्तीर्णगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित)

1. विभागीय परीक्षा साधारणतः माह— जून व दिसम्बर में प्रतिवर्ष दो बार आयोजित होगी।
2. पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु जिस वर्ष पदोन्नति की जावेगी उस वर्ष को 01 जनवरी की स्थिति में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अधिकारियों को विभागीय परीक्षा से छूट होगी।
3. अज्ञा/अज्ञा वर्ग वाले अधिकारियों को परीक्षा के अंकों में नियमानुसार छूट दी जावेगी।
4. दोनों प्रश्नपत्र में 50% अंक प्राप्त होने पर ही उत्तीर्ण माना जावेगा।
5. पाठ्यक्रम को विभाग की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

सहायक संचालक (योजना/सांख्यिकी) (द्वितीय श्रेणी) से उपसंचालक (प्रथम श्रेणी)
हेतु विभागीय पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र -1 (लघु उत्तरीय) - 100 अंक

1. विभागीय ज्ञान-

राज्यीय आय, जिला आय, पूँजी निर्माण, बजट विश्लेषण, बिजनेस रजिस्टर, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण, जीवनांक, CRS, आईआईपी, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, W.P.I., सकल प्रकार CPI, कृषि सांख्यिकी एवं उसका राष्ट्रीय एवं जिला आय में उपयोग, भवन निर्माण सांख्यिकी, शिक्षा सांख्यिकी, स्वास्थ्य सांख्यिकी, खनिज सांख्यिकी, आर्थिक गणना की अवधारणाएँ, विभाग में प्रचलित नियम अधिनियम का ज्ञान, माध्य, नियिका, बहुलक, मानक विचलन, सामान्यतया सह—रबंध।

प्रश्नपत्र - 2 (गणित एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक) - 100 अंक

2. सामान्य गणित एवं कम्प्यूटर ज्ञान-

भाग - 1 (गणित) 25 अंक

प्रतिशत, औसत, अनुपात—समानुपात, साधारण व्याज, लाभ—हानि, संचयी वार्षिक विकास दर (CAGR), जी.पी.एफ व्याज गणना इत्यादि।

भाग - 2 (कम्प्यूटर प्रायोगिक) 75 अंक

- एम.एस.बड़े – सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एवं फार्मला लिखना, वर्ड टेबल में योग करना, मेल मर्ज करना, पैराग्राफ में टैक्स्ट बाक्स में एलाइन करना, पेज नंबरिंग इत्यादि।
- एम.एस.एक्सेल – Deleting duplicates records, converting text to column, importing data from ascii format, exporting data to MS Access & other database, inserting comments, hyperlinking, cell property, , use of filter, pivot table, converting krutidev font (numerical) to times new roman or other excel friendly fonts, unicode, use of proper graphs & charts, nestedif etc.
- एक्सेल कमांड – find, replace, exact, power, sqrt, ceiling, even, round, convert, trunk, , if, sumif, sumifs, countifs, lookup, vlookup, hlookup, match, concatenate, mid, len, proper, and, or, trim, left, right, averageifs, correl, forecast.
- RDBMS, normalization, select

85